

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्र.एफ16(16)(15)परि/ई-ग्रास/2020/4726

जयपुर, दिनांक: 15-3-2024

आदेश संख्या 05/2024

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, पार्ट-1 के नियम 42 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01.04.2024 से वाहन स्वामियों, विक्रेताओं, फिटनेस सेन्टर आदि (विभागीय निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा जमा प्रशमन राशि के अतिरिक्त) के द्वारा विभाग के अधीनस्थ प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में जमा करायी जा रही समस्त जमाएँ ई-चालान/ऑनलाईन माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
आयुक्त, परिवहन
एवं सड़क सुरक्षा

क्र.एफ16(16)(15)परि/ई-ग्रास/2020/4727-4734 जयपुर, दिनांक: 15-3-2024
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राज. सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, अति. मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी एण्ड टी) विभाग।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग।
4. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
5. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
6. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
7. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.....को भेज कर लेख है कि उक्त आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों में आमजन/वाहन मालिकों/डीलर्स हेतु उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जगह प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करावें।

आयुक्त, परिवहन

Signature valid

RajKaj Ref
6074435



Digitally signed by Manisha Arora
Designation: Commissioner
Date: 2024.03.14 22:33:50 IST
Reason: Approved

